UNNAO POLICE

प्रेस नोट 01- दिनांक 20.06.2024
थाना बेहटा मुजावर,जनपद उन्नाव ।

गैर इरादतन हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या की वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.05.2024 को वादी राजेश कुमार पुत्र अम्बरलाल निवासी ग्राम आसायश थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव ने तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 6.4.2024 को गाँव के ही अवधेश, सर्वेश पुत्र गण छोटेलाल व उपासना पुत्री अवधेश, रीशू पुत्र अवधेश, सुशीला पत्नी अवधेश ने आपसी कहा सुनी को लेकर मार मेरे भाई राकेश उम्र 48 वर्ष को लात घूसों व लाठी डण्डो से मारा पीटा था जिससे मेरे भाई के गम्भीर चोटे आई इलाज के लिए बांगरमऊ C.H.C में भर्ती किया गया जहाँ डाक्टरो ने उन्नाव रिफर किया फिर उन्नाव से ऐरा अस्पताल लखनऊ भेजा गया जहाँ इलाज के दौरान दिनांक 3.5.2024 को मेरे भाई की मृत्यु हो गयी । इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 127/2024 धारा 34/304 भादवि पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की अग्रेतर कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 16.05.2024 को अभियुक्तगण 1. अवधेश कुमार व 2. सर्वेश कुमार पुत्रगण स्व0 छोटेलाल नि0गण ग्राम असायश थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।आज दिनांक 20.06.2024 को थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त वांछित अभियुक्ता सुशीला पत्नी अवधेश कुमार नि0 आशायस थाना बेहटा मुजावर उन्नाव को बेहटा मुजावर चौराहे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय उन्नाव भेजा गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्ता-</u>

1.सुशीला देवी पत्नी अवधेश कुमार उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण ग्राम आशायस थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव

<u>गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-</u>

1.उ0नि0 रामपदारथ पाण्डेय

2.हे0का0 कमलेश कुमार

3.म0हे0का0 कमलेश कुमारी

प्रेस नोट 02- दिनांक 20.06.2024
थाना अचलगंज,जनपद उन्नाव।

चोरी के जेवरात व मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को चोरी के जेवरात व एक मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना अचलगंज पर दिनांक 19.06.24 को आगन्तुक राजू शाहू पुत्र राममोहन शाहू नि0 ग्राम बन्थर थाना अचलगंज उन्नाव ने उपस्थित थाना आकर चोरों द्वारा वादी के भतीजे के घर पर जेवर व अन्य कागजात चोरी कर लेना व गांव से एक अन्य मो0सा0 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 183/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 20.06.2024 को थाना अचलगंज पुलिस द्वारा आटा बन्थर के बीच में तालाब के पास से मुकदमा उपरोक्त से अभियुक्त श्यामबाबू उर्फ राजबहादुर पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम बंथर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को चोरी गये सामान एक अदद हाफ पेटी सफेद धातु टुटा हुआ, एक अदद चाबी छल्ला सफेद धातु, एक जोड़ी खड़वा सफेद धातु, 5 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, एक बच्चे की हाय पीली धातु, एक अदद मोटरसाइकिल नं0 UP 35AZ 6132 के बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

नाम व पता अभियुक्त-

1.श्यामबाबू उर्फ राजबहादुर पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम बंथर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण

एक अदद हाफ पेटी सफेद धातु टुटा हुआ, एक अदद चाबी छल्ला सफेद धातु, एक जोड़ी खड़वा सफेद धातु, 5 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, एक बच्चे का हाय पीली धातु एक अदद मो0 सा0 नं0 UP 35AZ 6132

गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रविशंकर मिश्र

2.हे0का0 मो0 असलम

3.का0 महेश सिंह

4.का0 संजय भाटी

प्रेस नोट 03- दिनांक 20.06.2024 थाना सोहरामऊ,जनपद उन्नाव।

मारपीट में व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा मारपीट में व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक- 28.04.2024 को वादी श्री राजेश पुत्र रामेश्वर साहू नि0 ग्राम आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव की हिन्दी लिखित बावत प्रतिवादी द्वारा वादी को गन्दी- गन्दी गालिया देना, मारपीट करना, दांत से दाहिना कान काट लेना जिस कारण से चोटे आना जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध में प्रा0 पत्र दिया था जिसके आधार पर थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0 70/2024 धारा 323/326/504/506 भादवि बनाम संजय लोध पुत्र शिवपाल लोध नि0 ग्राम मदारीगढ़ी मजरा आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष के पंजीकृक हुआ था जिसमे दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही व अवलोकन एक्स-रे रिपोर्ट के आधार धारा 325 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनांक 20.06.2024 को अभियुक्त संजय लोध पुत्र शिवपाल लोध नि0 ग्राम मदारीगढ़ी मजरा आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को रसूलपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

नाम व पता अभियुक्त-

1. संजय लोध पुत्र शिवपाल लोध नि0 ग्राम मदारीगढ़ी मजरा आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार यादव थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

2.हे0का0 हृदयनारायण मिश्रा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

3.का0 अंकुश पवार थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

4.का0 प्रवीण कुमार थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

5.का0 रोहिताश कुमार थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।